

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड,
(विधि-अनुभाग)
देहरादून: दिनांक 08 जनवरी 2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0), वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी-2

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-3984/आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि-अनुभाग / 2006-07 दिनांक 15-11-2006 द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री के0 रहेजा डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2005 एन0टी0एन0 (वाल्सूम-27) 243 में दिये गये निर्णय के प्रकाश में डेवलपर्स/बिल्डर्स के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए थे।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-997/06 व रिट याचिका संख्या-1238/06 सर्वश्री एसोटेक रियलटी प्रा0 लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार के मामले में सर्वश्री के0 रहेजा डेवलपमेंट कारपोरेशन के वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को Distinguish करते हुए अपने निर्णय दिनांक 23-03-2007 द्वारा कर निर्धारण आदेश को निरस्त कर दिया गया था। व्यापार कर विभाग, उ0प्र0 द्वारा इस आदेश के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) दाखिल की गई। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 03-12-2007 द्वारा उ0प्र0 राज्य सरकार की एस0एल0पी0 स्वीकार करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया गया है तथा इस मामले में प्रतिवादी को कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। (आदेश की प्रतिलिपि संलग्न)

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित डेवलपर्स/ बिल्डर्स के मामलों में पूर्व में जारी परिपत्र संख्या-3984 दिनांक 15-11-2006 के अनुपालन में अब तक की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना 20-01-2008 तक निम्न प्रारूप में ज्वाइन्ट कमिश्नर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	क्षेत्र में आने वाले बिल्डर्स / रियल स्टेट डेवलपर्स	टिन/पंजीयन नम्बर तथा प्रभावी दिनांक	वर्ष वार अब तक जमा कर का विवरण	यदि रूपपत्र / कर जमा नहीं किया जा रहा है तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण	यदि पंजीयन नहीं लिया गया है तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6

(एल.एम.पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

for all
R

MW

Dy. NO: 429

Date: 16.01.2008

3369 (12)

-2-

पू०प०स० दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 10- श्री वी०के० वर्मा, विशेष कार्यधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11- नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 12- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 13- लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 14- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 15- विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

7/11/2008

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(N) (M.PANCEAL)

NEW DELHI
DECEMBER 23, 2007

